भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाव रोड, देहरादून—248001 दूरभावः 0135—2650809 फैक्स—0135—2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/139/2018/एफ.सी./*&6*7

दिनांक 24 .07.2019

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादुन।

विषय:- जनपद- उत्तरकाशी के अन्तर्गत सिलक्यारा शिव गुफा से मंजगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.31 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/26799/2017)

सन्दर्भः—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक — 3404/FP/UK/ ROAD/26799/2017 दिनांक 20-06-2019

महोदय.

Reply to this office EDS dated 24/12/2018 submitted by State Govt. vide letter referred above uploaded online on 05/07/2019 was examined. I am directed to inform that the State Government may attend the shortcoming as mentioned below:

- 1. In reply following observations have been made:
 - (i) State Government mentioned reference of letter of this office letter dt. 21/05/2019 instead of 24/12/2018.
 - (ii) Reply of only 05 points submitted instead of 10 points.
 - (iii) Out of 05 points, only first three points match to this office EDS dt. 24/12/2018.

State Government may submit clarification in respect of above points.

- 2. It has been observed in many cases in the past also that the proposal is not being examined properly in the nodal office and their letters having wrong reference no. and incomplete/ wrong reply. State Government is requested to kindly submit the proposal to this office after thorough check.
- 3. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार Muck Dumping हेतु गैर—वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें। अभी चार में से मात्र 02 स्थानों पर गैर वन क्षेत्र में dumping प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही dumping से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची पृथक से प्रस्तुत करें।

यदि चाही गई सूचना, पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)